

[2025] 4 एस. सी. आर 1708 : 2025 आई. एन. एस. सी 561

हिमाचल प्रदेश राज्य

बनाम

संजय कुमार

(आपराधिक अपील सं. 595/2016)

23 अप्रैल 2025

[अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और

प्रशांत कुमार मिश्रा, * न्यायाधीश।]

विचार के लिए मुद्दा

क्या उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त-ए1 को धारा 363, 366, 376 और 201 के साथ धारा 34, आईपीसी तथा अभियुक्त-ए2 को धारा 201 के साथ धारा 34 के तहत दोषसिद्धि और सजा को रद्द करना और उन्हें बरी करना न्यायोचित था।

हेडनोट्स[†]

दंड संहिता, 1860-एस.एस.363, 366, 376, 201 के साथ एस. 34 - उच्च न्यायालय ने आरोपी-ए1 को धारा 363, 366, 376 और 201 के साथ धारा 34, आईपीसी और आरोपी-ए2 को धारा 201 के साथ धारा 34 के तहत दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया और उन्हें बरी कर दिया - शुद्धता:

आयोजित: बरी करने में हस्तक्षेप नहीं किया गया - अभियोक्ता के अपहरण के संबंध में एफआईआर दर्ज की गई थी, एफआईआर में बलात्कार का कोई आरोप नहीं है - बलात्कार की तारीख के संबंध में अभियोक्ता के बयान में भौतिक विरोधाभास है - चूंकि ए1 31.03.2012 की रात में अभियोक्ता के साथ नहीं थी जब वह सह-अभियुक्त- ए2 के घर में थी और ए2 के खिलाफ बलात्कार का कोई आरोप नहीं है, जिसके घर में वह अगली रात रुकी थी, उच्च न्यायालय ने सही रूप से माना कि ए1 द्वारा बलात्कार का कृत्य साबित नहीं हुआ है - रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य को देखते हुए उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण प्रशंसनीय है - अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ आरोप स्थापित करने में विफल रहा। [पैरा 9-11]

अधिनियमों की सूची

दंड संहिता, 1860; दंड प्रक्रिया संहिता, 1973

[†] लेखक

मुख्य शब्दों की सूची

बलात्कार का आरोप सिद्ध नहीं हुआ; अपहरण; दोषमुक्ति में हस्तक्षेप नहीं किया गया; अभियोक्ता के बयान में भौतिक विरोधाभास; एफआईआर में बलात्कार का कोई आरोप नहीं; दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164; अपराध की तारीख; चिकित्सा साक्ष्य; डीएनए प्रोफाइल

मामला उत्पन्न होने से

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय: दाण्डिक अपीलीय सं 595/2016
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय शिमला के 28.12.2015 के निर्णय एवं आदेश से,
सीआरएलए संख्या 4246/2013 तथा आपराधिक अपील संख्या 596/2016

पार्टियों के लिए उपस्थिति

अपीलकर्ता के अधिवक्ता:

दिव्यांशु कुमार श्रीवास्तव, यश जैन, रवि बख्शी, एस. गौतम

प्रतिवादियों के अधिवक्ता:

सुमेश धवन, सुश्री अंकिता बाजपेयी, श्रीमती वत्सला काक, सुश्री खोली राकुझुरो,
श्रीमती प्रिया पुरी, राघव डेम्बला।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय/आदेश

फैसला

प्रशांत कुमार मिश्रा, न्यायाधीश

1. ये अपीलें हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय शिमला द्वारा आपराधिक अपील संख्या 4246/2013 और आपराधिक अपील संख्या 4273/2013 में दिनांक 28.12.2015 को पारित किए गए बरी करने के विवादित फैसले पर सवाल उठाएंगी, जिसमें आरोपी/संजय कुमार को भारतीय दंड संहिता, 1860¹ की धारा 363, 366, 376 और 201 सहपठित धारा 34 के तहत दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया गया था, और आरोपी/चमन शुक्ला को सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश) द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 8/7/2012 में धारा 201 सहपठित धारा 34 आईपीसी के तहत लगाई गई सजा को रद्द कर दिया गया था, जो दिनांक 31.03.2012 को पी.एस. बरमाणा, जिला बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश) में दर्ज एफआईआर संख्या 47/2012 से उत्पन्न हुई थी।

1 (संक्षेप में, 'आई. पी. सी')

2. अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप में यह है कि 30.03.2012 को, अभियोक्ता के पिता प्रकाश चंद (पीडब्लू-5) सोहरा बुइंस में श्री नैना देवी मंदिर में धार्मिक कथा ('कथा') सुन रहे थे और उनकी पत्नी शांता शर्मा अपनी बेटी तनु शर्मा (पीडब्लू-2) और अभियोक्ता उम्र लगभग 14 वर्ष (पीडब्लू-13) के साथ कथा सुनने गई थीं। कथा के दौरान, पीडब्लू-2 ने अभियोक्ता से अपने लगभग दो वर्ष के बेटे को मंदिर के एक कमरे में सुलाने के लिए ले जाने को कहा। काफी देर बाद जब अभियोक्ता वापस नहीं आई तो पीडब्लू-2 उस कमरे में गई जहां उसने अपने बेटे को सोते हुए पाया, लेकिन अभियोक्ता को कमरे में नहीं पाया। इस पर, पीडब्लू-2 ने अपने ससुराल वालों और अन्य लोगों को सूचित किया और अभियोक्ता की तलाश शुरू की, लेकिन असफल रही। उन्होंने संदेह जताया कि आरोपी संजय कुमार ने अभियोक्ता का अपहरण कर लिया है। पीडब्लू-2 ने अपने पति नरेंद्र शैल (पीडब्लू-1) को फोन किया जिसने पुलिस स्टेशन, बरमाना, जिला बिलासपुर में शिकायत की और उसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई।
- 2.2. 01.04.2012 को अभियुक्त/चमन शुक्ला अभियोक्ता के साथ पुलिस स्टेशन रामपुर, जिला शिमला गया और बताया कि उसने उसे 30.03.2012 को नारकंडा में सड़क पर चलते हुए पाया और उसे अपने घर ले आया। पुलिस स्टेशन, रामपुर में अभियोक्ताको पेश करने पर, पुलिस स्टेशन बरमाना, जिला बिलासपुर का एक पुलिस दल अभियोक्ता के रिश्तेदारों के साथ वहां पहुंचा और पुलिस स्टेशन, रामपुर में रोजनामचा में रपट दर्ज करके अभियोक्ता को उनके सुपुर्द कर दिया गया। अभियुक्त/संजय कुमार को 04.04.2012 को गिरफ्तार किया गया और अभियोक्ता के साथ-साथ अभियुक्त/संजय कुमार की चिकित्सकीय जांच की गई।
- 2.3. जांच के दौरान, यह पाया गया कि आरोपी संजय कुमार ने दिनांक 30.03.2012 को अपनी ऑल्टो कार पंजीकरण संख्या एचपी-24-8684 में अभियोक्ता का अपहरण किया तथा उस रात को ग्राम थैला चकती, तहसील रामपुर, जिला शिमला में ज्वाला देवी (पीडब्लू-6) के घर में बिताया, जहां उसने कथित रूप से उसके साथ बलात्कार किया। अगले दिन, अभियोक्ता को आरोपी/चमन शुक्ला के घर में रखा गया, जिसने उसे धमकी दी कि वह यह कहे कि वह अपनी इच्छा से रामपुर आई है और जांच एजेंसी को गुमराह करने का प्रयास किया। पीडब्लू-6 ने अभियोक्ता की एक शर्ट भी सौंपी। अभियोक्ता की आयु के संबंध में, अन्वेषण अधिकारी ने उसका जन्म प्रमाणपत्र प्राप्त

किया, जिसमें उसकी जन्मतिथि 09.12.1997 अंकित है, जो परिवार रजिस्टर के साथ प्रमाणित होती है। 07.04.2012 को, कार को वोडाफोन के सिम वाले एक मोबाइल फोन के साथ जब्त कर लिया गया। 11.04.2012 को अभियोक्ता को न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलासपुर के समक्ष पेश किया गया, जहां उसका बयान धारा 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज किया गया।

- 2.4. जाँच पूरा होने पर आरोप पत्र दायर किया गया और मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपों के समर्थन में 21 गवाहों से पूछताछ की। अभियुक्त ने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया लेकिन बचाव में कोई सबूत नहीं दिया।
- 2.5. विचारण के दौरान अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य के आधार पर, विचारण न्यायालय ने अभियुक्त/संजय कुमार को संबंधित अपराधों के लिए दोषी ठहराया और उसे 7 वर्ष के कठोर कारावास और 20,000/- रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई तथा अभियुक्त/चमन शुक्ला को 01 वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई, जिसके विरुद्ध उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील की। उच्च न्यायालय ने उपरोक्त दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया है और इसके परिणामस्वरूप अभियुक्तों/अपीलार्थियों द्वारा की गई आपराधिक अपीलों को विवादित निर्णय द्वारा अनुमति दी गई है। इसलिए, ये अपीलें।
3. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और अभिलेखों का अध्ययन किया है। विद्वान अधिवक्ता ने हमें रिकार्ड पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य से अवगत कराया है।
4. अपीलकर्ता/राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्रीमान दिव्यांशु कुमार श्रीवास्तव ने अभियुक्त के खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए मुख्य रूप से अभियोक्ता के बयान पर भरोसा किया, क्योंकि अभियुक्त/संजय कुमार द्वारा अभियोक्ता को पूर्व परिचित होने के कारण नैना देवी मंदिर से बिना किसी बाधा के ले जाया गया था। उन्होंने आगे कहा कि अभियोक्ता स्वाभाविक रूप से अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के अलावा सबसे महत्वपूर्ण गवाह है और उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के बयान को गलत तरीके से खारिज कर दिया है। पूरे मामले की पृष्ठभूमि में उनके बयान की सराहना की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अभियोक्ता की गवाही पूर्ण विश्वास पैदा करती है तथा दोषसिद्धि को कायम रखने के लिए अपने आप में पर्याप्त है।

5. इसके विपरीत, प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्रीमान सुमेश धवन ने प्रस्तुत किया कि अभियुक्त/संजय कुमार को अभियोक्ता के साथ पूर्व परिचित होने के संदेह के आधार पर झूठा फंसाया गया है, जबकि अभियोक्ता अपनी इच्छा से भागी थी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अभियोक्ता ने स्पष्ट रूप से कहा था कि 30 मार्च, 2012 की रात को उसके साथ बलात्कार किया गया था, जबकि डीडीआर प्रदर्श पीडब्लू-21/ए और पीडब्लू-21/बी की प्रविष्टियों से यह स्थापित होता है कि वह उस रात अन्य अभियुक्त चमन शुक्ला के साथ थी और ऐसी विसंगतियों के आधार पर ट्रायल कोर्ट ने सह-अभियुक्त लेख राम को बरी कर दिया था, जबकि प्रतिवादियों को दोषी करार देने का आदेश दिया गया था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि कथित तौर पर बलात्कार पीडब्लू-6 (जवाला) के घर में किया गया था, जो अभियोक्ता के बयान का समर्थन नहीं करता था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष का यह विशिष्ट मामला था कि पुलिस ने टेलीफोन टावर लोकेशन के माध्यम से उसके मोबाइल फोन का पीछा करके अभियोक्ता का पता लगाया था, जबकि मुकदमे के दौरान ऐसा कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे अभियोजन पक्ष के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सके। आगे यह तर्क दिया गया कि अभियुक्त के वीर्य का, अभियोक्ता के कपड़ों से कथित रूप से बरामद वीर्य से मिलान करने के लिए कोई डीएनए परीक्षण नहीं किया गया।
6. ट्रायल कोर्ट ने पाया कि अभियोक्ता की जन्मतिथि 09.12.1997 है, इसलिए, कथित घटना के समय उसकी आयु 16 वर्ष से कम थी। यह भी माना गया कि अभियुक्त संजय कुमार अभियोक्ता के परिवार को जानता था और निकटता का लाभ उठाकर उसने उसे बहला-फुसलाकर वाहन में बैठा लिया और उसके बाद वे रामपुर चले गए। यौन संभोग के मुद्दे पर, ट्रायल कोर्ट ने नोट किया कि पीडब्लू-6/जवाला देवी ने अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया था, इस मुद्दे पर एकमात्र बयान पीडब्लू-13/अभियोक्ता का बयान था। पीडब्लू-1/नरेन्द्र शैल, पीडब्लू-3/बाबू राम के पुष्टिकारक बयानों और पीडब्लू-13/अभियोक्ता के बयानों के आधार पर, ट्रायल कोर्ट ने पाया कि अभियोक्ता पीडब्लू-6/जवाला देवी के घर में एक रात रुकी थी और मेडिकल रिपोर्ट के साथ अभियोजन पक्ष के बयान पर विश्वास किया और आरोपी/संजय कुमार को बलात्कार के अपराध के लिए दोषी ठहराया, जबकि आरोपी/चमन शुक्ला को धारा 201 सहपठित धारा 34 आईपीसी के तहत अपराध करने के लिए दोषी ठहराया गया है।
7. उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत विवादितनिर्णय में, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों पर विस्तृत चर्चा के पश्चात्, यह माना गया है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तों/प्रतिवादियों

के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने में विफल रहा है। उच्च न्यायालय ने पाया कि अभियोक्ता के अनुसार, अभियुक्त संजय कुमार उसे 30.03.2012 को पीडब्लू-6/ज्वाला देवी के घर रामपुर ले गया और रात के समय उसने बलात्कार किया। अगली शाम अभियुक्त संजय कुमार उसे सह-अभियुक्त चमन शुक्ला के घर ले गया और उसे वहां छोड़ दिया और तीसरे दिन यानि 01.04.2012 को उसके गांव के सह-अभियुक्त लेख राम सहित कुछ लोग चमन शुक्ला के घर आए और उसे पुलिस स्टेशन, रामपुर ले गए और बयान दिया कि वह अपने घर से भाग गई थी क्योंकि उसके माता-पिता उसे मारते थे। आरोपी/चमन शुक्ला ने उसे गलत बयान देने के लिए मजबूर किया और आरोपी/लेख राम ने उसे धमकी दी। इसके बाद, अभियोक्ता आरोपी/चमन शुक्ला के साथ पुलिस स्टेशन, रामपुर आई और उसके बयान के आधार पर दैनिक डायरी रिपोर्ट मार्क-जेड1 दर्ज की गई। धारा 164 सीआरपीसी के तहत उसका बयान भी प्रदर्श पीडब्लू-13/ए के माध्यम से दर्ज किया गया। जिरह में, उसने स्वीकार किया कि उसने पीडब्लू-6/ज्वाला देवी या अपने परिवार के सदस्यों को कुछ भी नहीं बताया, और उसके बाद भी सह-अभियुक्त/चमन शुक्ला और उसके परिवार के सदस्यों को कुछ नहीं बताया, हालाँकि उसने वहाँ एक रात बिताई थी। उसने स्वीकार किया कि उसने यह खुलासा नहीं किया था कि आरोपी/संजय कुमार ने उसके साथ बलात्कार किया था। बिलासपुर से रामपुर तक की अपनी यात्रा के दौरान उसने किसी को यह नहीं बताया कि आरोपी/संजय कुमार ने उसका अपहरण कर लिया है। उसने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि अभियुक्त/संजय कुमार ने उसके साथ थाली चकती में बलात्कार किया था, न कि सह-अभियुक्त/चमन शुक्ला के घर पर और यह बलात्कार 30.03.2012 की रात को पीडब्लू-6/ज्वाला देवी के घर में किया गया था और 31.03.2012 को वह अभियुक्त/चमन शुक्ला के घर में रुकी थी और उस दिन उसके साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ था क्योंकि अभियुक्त/संजय कुमार वहां नहीं था।

8. उच्च न्यायालय ने पाया कि रामपुर में अभियुक्त/संजय कुमार की उपस्थिति के बारे में सबसे अच्छा सबूत पीडब्लू-6/ज्वाला देवी का था, क्योंकि बलात्कार उसके आवास पर किया गया था। हालाँकि, पीडब्लू-6/ज्वाला देवी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है और न ही अभियुक्त/लेख राम के साथ आए किसी अन्य गवाह से पूछताछ की गई है। हालाँकि, अपने बयान प्रदर्श पीडब्लू-13/ए में और 08.04.2012 के पूरक बयान में भी, अभियोजन पक्ष ने कभी यह खुलासा नहीं किया था कि रामपुर में उसके साथ

बलात्कार किया गया था। अभियुक्त/संजय कुमार और पीडब्लू-6/जवाला देवी के बीच संबंध के बारे में कोई सबूत नहीं है। चिकित्सा साक्ष्य के संबंध में, उच्च न्यायालय ने कहा कि बलात्कार की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन यह प्रश्न बना हुआ है कि बलात्कार किसने किया और इसके अलावा, अभियोक्ता के अंडरवियर पर पाए गए वीर्य का डीएनए प्रोफाइल नहीं बनाया गया है। साक्ष्य के अनुसार यह भी पाया गया है कि अकेले आरोपी/संजय कुमार ने बलात्कार किया क्योंकि सह-आरोपी/चमन शुक्ला के खिलाफ इस संबंध में कोई आरोप नहीं है। हालाँकि, अभियुक्त/चमन शुक्ला को अभियोक्ता द्वारा बलात्कार के बारे में कभी सूचित नहीं किया गया था।

9. चूँकि प्राथमिकी अभियोक्ता के अपहरण के संबंध में दर्ज की गई थी, उसमें बलात्कार का कोई आरोप नहीं है। सीआरपीसी की धारा 164 के तहत अपने बयान में अभियोक्ता ने कहा कि 31.03.2012 की रात को, जब वह अभियुक्त/चमन शुक्ला के घर में थी, बलात्कार हुआ था। हालाँकि, अपने अदालत के बयान में उसने कहा कि आरोपी/संजय कुमार द्वारा 30.03.2012 की रात में बलात्कार किया गया था जब वे पीडब्लू-6/जवाला देवी के घर में रह रहे थे। वह यह स्वीकार करती है कि उसने बलात्कार के तथ्य को रामपुर गांव में किसी को भी नहीं बताया, न ही ग्रामीणों को और न ही आरोपी/चमन शुक्ला को, जो उसे रामपुर पुलिस स्टेशन लेकर आए थे।
10. अभिलेख पर उपलब्ध उपरोक्त कथन के मददेनजर, हमारा मानना है कि बलात्कार की तारीख के संबंध में अभियोक्ता के बयान में पर्याप्त विरोधाभास है और चूँकि अभियुक्त/संजय कुमार 31.03.2012 की रात को अभियोक्ता के साथ नहीं था, जब वह सह-अभियुक्त/चमन शुक्ला के घर में थी और अभियुक्त/चमन शुक्ला, जिसके घर में वह अगली रात रुकी थी, के विरुद्ध बलात्कार का कोई आरोप नहीं है, इसलिए उच्च न्यायालय ने सही निष्कर्ष निकाला है कि अभियुक्त/संजय कुमार द्वारा बलात्कार का कृत्य सिद्ध नहीं होता है।
11. मामले के उपरोक्त दृष्टिकोण में, तथा विशेष रूप से, इस कारण से कि उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करते हुए, एक प्रशंसनीय दृष्टिकोण है, उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दोषमुक्ति के निर्णय के विरुद्ध हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, अभियुक्त/संजय कुमार और

अभियुक्त/चमन शुक्ला को बरी करने को चुनौती देने वाली दोनों अपीलें खारिज की जाती हैं।

मामले का परिणाम: याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

†हेडनोट्स तैयार किए गए: दिव्या पांडे

अनुवादकर्ता: शशी शर्मा
अनुवादक